

फर्द अहकाम

2019/00343

रंगपाल

बनाम गोपाल

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 161/19

क आज्ञा नार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4.22	<p>पत्रावली पेशा इ.स. वमील उन्मप पक्ष उपस्थित तहसीलदार कमी से कुंजात रिपोर्ट पर हेमर शामिल पत्रावली है कुंजात रिपोर्ट पर वमील पक्षमातल को सुना गया। वमील पक्षमातल द्वारा कुंजात मही होता सीमा पर कुंजात रिपोर्ट पर सहमति गाहिर थी। पत्रावली पर उपलब्ध एवं वमील पक्षमातल को कुंजात पर सुने एवं कुंजात रिपोर्ट मही होता सीमा पर कुंजात रिपोर्ट पर सहमति गाहिर कले के फलवदप वाली का तड तहसीलदार कमी से पात्र कुंजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम सिद्धि किया जाता है कि वादग्रस्त आवासी खसत नम्बर 10, 13, 265 कुल कित 3 कुल एका 4.944 हेमर निम्न ग्राम सिद्धी तहसील कमी जिला बांणपुर में से खसत नम्बर 10 एका 1.648 हेमर भूमि स्वतदार गोपाल सिंह पुत्र गणेश सिंह जाति शेरगा मा. देह रेडिग एमिस के शरका गोपालपुरा बांणपुर के हिस्से में रहेगी तथा ख. नं. 13 265 कुल कित 2 कुल एका 1.648 हेमर का भूमि स्वतदार शरका सिंह पुत्र गणेश सिंह हिमात्म्युनी जाति शेरगा मा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख. नं. 10, 13 कुल कित 2 कुल एका 1.648 हेमर कले का भूमि स्वतदार मजबत काल w/o मजबत सिंह हि. मज्जुनी जाति शेरगा मा. देह के हिस्से में रहेगी। उन्मातल शरका कले में अमल इलाक़द किया जावे। कुंजात क नमरी का अनुकोदत तहसील कमी को भोजे जावे।</p>	

*(Handwritten signature)*


2019/00343

फर्द अहकाम

रामपाल बनाम शोपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>डिप्लो फर्द जारी हो। निर्णय व डिप्लोमा जारी हो। हेतु तहसील जाती हो। पत्रावली फेरल पुस्तक दस्तावेज तहसील से खिस कर हो।</p> <p>आज दिनांक 19.4.19 को यह निर्णय खुले न्यायालय से सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर</p>

डिकी मुकदमा इबादाई  
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. रामपाल उर्फ रामपाल सिंह पुत्र बनाम  
गणेशनारायण  
जाति दरोगा निवासी ग्राम सिन्दोली  
तह. बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

1. गोपाल पुत्र गणेशनारायण  
जाति दरोगा निवासी ग्राम सिन्दोली तह.  
बस्सी जिला जयपुर।
2. भगवान(मृतक दौराने दावा)  
2/1 सज्जन कंवर पत्नि भगवान  
जाति दरोगा निवासी ग्राम सिन्दोली तह.  
बस्सी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 161/19

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 10,13, 265 कुल किता 3 कुल रकबा 4.9441 हैक्टेयर स्थित ग्राम सिन्दोली तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 10 रकबा 1.6481 हैक्टेयर भूमि खातेदार गोपाल सिंह पुत्र गणेश सिंह जाति दरोगा सा. देह राहिन एक्सिस बैंक शाखा गोपालपुरा जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 13, 265 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6480 हैक्टेयर की भूमि खातेदार रामपाल सिंह पुत्र गणेशसिंह हिस्सा संपूर्ण जाति दरोगा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 10/1, 13/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6480 हैक्टेयर की भूमि खातेदार सज्जन कंवर पत्नि भगवानसिंह हि. संपूर्ण जाति दरोगा सा. देह के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।.....निजी..... मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मुहर दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2020 को जारी किया गया।

मोहर  
ओहदा.....

दस्तख्त  
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दाथलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		

25

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

151/19

महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
--	--	--	---	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।



सहायक कलेक्टर

सहायक वकील सिल्ला सिन्हा